कोर्ट फी COURT FEE भारत 10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES
कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA 20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

निरस्त

115

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

अनिल कुमार पिता गनेश प्रसाद पांडे ,

नि० 2628-I/16

निवासी सुभाष वार्ड हटा, तहसील हटा, जिला दमोह

...............आवेदक

वनाम

सुशीला पत्नि भूषण नामदेव ,

हाल निबासी–वनगांव, तहसील पटेरा, जिला दमोह म0प्र0

.....................अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निवेदन है:–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय हटा, जिला दमोह द्वारा प्र0 प्र0 06/बी121/2014–15 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 28/07/2016 से परिवेदित होकर कर रहा है। जो समय सीमा में है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रिस्पॉ0 द्वारा तहसीलदार हटा के न्यायालय में एक आवेदनपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवेदक द्वारा उसके घर के सामने रोड पर एक तखत रख लिया है, जिससे उसके घर का हिस्सा दब रहा है। अतः तखत उठवाया जावे। जिसमें तहसीलदार द्वारा बगैर विधिवत स्थल निरीक्षण करवाये संहिता की धारा 250 के तहत क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उपरोक्त तखत हटाने का आदेश दिनांक

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.............

प्रकरण क्मांक 2628–एक/2016 निगरानी

जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आ्दि के हस्ताक्षर
5.8.16	यह निगरानी श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभिभाषक व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, हटा जिला दमोह के प्रकरण कमांक 6 बी–121/2014715 में पारित आदेश दिनॉक 28–7–2016 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ श्रीमती शर्मा के प्रारंभिक तर्क सुने तथा उनकी ओर से निगरानी मेमो के संलग्न किये गये दस्तावेजों का परिशीलन किया गया। 3/ श्रीमती शर्मा के प्रारंभिक तर्कों पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी, हटा के आदेश दिनॉक 28–7–2016 के अवलोकन पर प्रकट है कि राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर के प्रकरण कमांक 2503–एक/2015 में पारित आदेश दिनॉक 14–7–15 के कम में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा प्रकरण कमांक 6 बी–121/2014–15 में पक्षकारों की सुनवाई की जा रही है तथा उभय पक्ष को पेशी 28–7–1016 पर सुना जाकर दिनांक 29–7–2016 को 11 बजे अपराम्ह स्थल निरीक्षण हेतु प्रकरण नियत किया गया है तथा उभय पक्ष को नियत समय पर स्थल पर उपस्थित रहने हेतु ताकीद करते हुये पटवारी एंव राजस्व निरीक्षक को अभिलेख सहित मौके पर रहने हेतु सूचित किया गया है जिसके विरूद्व आवेदक ने यह निगरानी प्रस्तुत की है। अनुविभागीय अधिकारी हटा के अंतरिम आदेश दिनॉक 28–7–2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि दावे की वास्तविक स्थिति की जॉच हेतु अनुविभागीय अधिकारी ने स्थल निरीक्षण करना मुनासिब समझा है जिसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता है क्योंकि स्थल पर उभय पक्ष उपस्थित रहकर अपना–अपना पक्ष बता सकते है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी ग्राह्य योग्य व सुनवाई योग्य न पाये जाने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	